सुपर बाजार के कर्मचारियों के वेतन-बिल

1299. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार के कर्मचारियों के वेतन-बिल (वेज-बिल) विकास दर के अनुरूप हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) वेतन-बिलों की तुलना में सुपर बाजार की वर्तमान अर्जित लाभ-दर कितनी है और सुपर बाजार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले अंतिम लाभों का ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि गत वर्ष के मुकाबले 1994-95 के दौरान सुपर बाजार के मजदूरी बिल में हुई वृद्धि कुल लाभ में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि क्योंकि वे अपने कर्मचारियों को वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, बोनस इत्यादि का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, अतः मजदूरी बिल में निरन्तर वृद्धि हो रही है। तथापि, उपचारात्मक कदम के रूप में मार्च, 1988 से नई भर्ती पर प्रतिबन्ध है।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान बिक्री के मुकाबले जहां निवल लाभ क्रमशः 7.83%, 8.03% तथा 8.38% निकलता है, उसी अवधि के दौरान स्थापना व्यय क्रमशः 7.19%, 7.16% तथा 7.49% निकलता है। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि सुपर बाजार के कर्मचारी वेतन भत्तों, चिकित्सा सुविधाओं, छुट्टी नकदीकरण तथा बोनस इत्यादि के हकदार हैं।

दिल्ली में श्रम सम्मेलन

1300. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नवम्बर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में दो दिवसीय श्रम-सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) सम्मेलन में चर्चा के दौरान प्रस्तुत किए गए सुझावों और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार क्या निर्णय लेने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम को संशोधित करने की किसी संभावना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार इस कार्य को कब तक पूरा कर लेने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) जी, हां। भारतीय श्रम सम्मेलन का 32वां सत्र 23-24 नवम्बर, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों और नियोक्ता संगठनों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए थे। सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया था।

(1) सेवाओं/रोजगारों की कतिपय श्रेणियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से छूट प्रदान करने के लिए — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ञ) में संशोधन।

(2) असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा।

(3) रोजगार कार्यालयों का पुनर्गठन।

(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण का पुनर्गठन।

(5) प्रबंध में कर्मकार सहभागिता विधेयक, 1990।

(ग) भारतीय श्रम सम्मेलन के 32वें सत्र के निर्णय अनुबंध-1 के रूप में संलग्न हैं। सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और प्रस्ताव प्रारूपित करते समय भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ञ) की अधिसूचना से संबंधित मुद्दे पर श्रम मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था। चूंकि इस मुद्दे पर नियोजकों और व्यवसाय संघों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया था अतः भारतीय श्रम सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि इस मामले को व्यापक रूप से